राविंदर सिंह उपनाम टेनु बनाम हरियाणा राज्य और एक और

विकास सूरी ज0 के समक्ष,

रविंदर सिंह उपनाम टेनु-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य प्रतिवादी 2014 का सी0 आर 0 ए 0-एस 0 No.4349-SB

18 जुलाई, 2022

भारतीय दंड संहिता 1860.एस. 326, 307 शस्त्र अधिनियम, 1959-धारा 27-अपराधिक प्रिक्रिया संहिता, 1973-एस. 320, 482-अपील लंबित रहने के दौरान समझौता-पक्षों के बीच नागरिक विवाद के कारण गरमागरम बहस हुई-अपीलकर्ता ने गोली चलाई-शिकायतकर्ता के पैर पर मारा। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत बरी कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया-अपील विचाराधीनता रहने के दौरान समझौता। धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति को धारा 320 सी. आर. पी. सी. की सीमा से परे लागू किया जा सकता है-गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को मुकदमें के समापन और अपील को खारिज करने के बावजूद रह किया जा सकता है। घटना विशुद्ध रूप से निजी प्रकृति का व्यक्तिगतध्आपराधिक कार्य हैय चोटें जीवन के लिए खतरनाक नहीं हैंए समझौता बिना किसी दबाव के होता है; घटना के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, पक्षकार एक ही शहर के निवासी हैं और संबंधित हैं, सौहार्दपूर्ण समझौते की स्वीकृति पर आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली अप्रभावित रहेगी-इस प्रकार, प्राथमिकी रह कर दी गई और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा के आदेश को रह कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शिक्त को धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता और सीमा से परे लागू किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि गैर जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील रद हो गई है और सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है। इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता किया जाता हैए उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

(पैरा 18)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवप्रीत कोहली।

मुनीश शर्मा, एएजी हरियाणा

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरिंदर सिंह सिंधर-प्रतिवादी सं। 2.

विकास बहल, जे. (ओ. आर. ए. एल.) सी. आर. एम.-8968-2022

(1) यह धारा 482 भारतीय दंड संहिता के तहत एक आवेदन है जो अपराधिक अपील में सुनवाई की तारीख इस आधार पर तय करने के लिए है कि वर्तमान अपील विचाराधीनता रहने के दौरान मामले मे समझौता किया गया है।

- (2) शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के संख्या दो के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि मुख्य अपील की अनुमित दी जाए क्योंकि मामले मे समझौता हो चुका है।
- (3) राज्य के विद्वान वकील ने कहा है कि यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- (4) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएए आवेदन की अनुमति दी जाती है और मुख्य अपील आज के लिए प्रस्तावित की जाती है और आज ही सुनवाई के लिए बोर्ड पर ली जाती है।

सी. आर. ए.-एस-4349-एस. बी.-2014

(5) वर्तमान अपील में चुनौती दिनांक 29.09.2014 के फैसले और दिनांक 30.09.2014 के सजा के आदेश के लिए है, जिसे अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:-

1	भारतीय दंड संहिता की धारा 326	तीन साल के लिए कठोर कारावास और रूप्ये 10000/-का जुर्माना भुगतान, जुर्माने के भुगतान में चूक तीन महीने के लिए वह एस. आई. से भी गुजरेगा
2	शस्त्र अधिनियम की धारा 27	तीन साल के लिए कठोर कारावास और रूप्रे 5000/-का जुर्माना भुगतान करना जुर्माने के भुगतान में चूक में एक महीने के लिए वह एस. आई. से भी गुजरेगा,

- (6) अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत बरी कर दिया गया है।
 - (७) वर्तमान अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, विद्वान अधिवक्ता

क्योंकि अपीलकर्ता ने एक संलग्नक दायर किया है, अर्थात सी. आर. एम.-8969-2022 अनुबंध ए-1 के रूप में दिनांकित समझौता विलेख को रिकॉर्ड में रखने के लिए और संलग्नक, अर्थात सी. आर. एम.-8968-2022 अपील में सुनवाई की तारीख तय करने के लिए। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 15.03.2022 आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

''सी. आर. एम.-8969-2022

यह खंड 482 भारतीय दंड संहिता के तहत एक संलग्नक है जो अनुबंध ए-1 के रूप में 23.11.2021 दिनांकित समझौता विलेख को रिकॉर्ड पर रखने के लिए हैं। प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी गई। संलग्नक ए-1 को सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

सी. आर. एम.-8968-2022

आवेदक-अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामले से समझौता किया गया है और मौखिक अनुरोध किया है कि गांव सुल्लरए तहसील और जिला अंबाला के निवासी राजेंद्र सिंह के बेटे यशविंदर सिंह को प्रतिवादी नं 12.

आवेदक.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, गांव सुल्लर, तहसील और जिला अंबाला के निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र उक्त यशविंदर सिंह को प्रतिवादी नं.2. पंजीकरण को पक्षों के ज्ञापन में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया जाता है।

आवेदन में सूचना प्रतिवादी संख्या 2 को 30.03.2022 के लिए

15 मार्च, 2022 ।"

(8) इसके बाद 30.03.2022 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"आवेदक-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता /प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच मामले में समझौता किया गया है और वे उक्त समझौते के संबंध में अपने बयान दर्ज कराएंगे।

02.05.2022 पर स्थगित किया गया।

पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे 890 के तहत अपने बयान दर्ज करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट ⁄निचली अदालत के समक्ष पेश हों।

15 दिनों की अवधि के भीतर समझौता।

इलाका मजिस्ट्रेट विचली अदालत को सुनवाई की तारीख को या उससे पहले निम्नलिखित जानकारी के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है:-

- 1. अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या।
- 2. क्या कोई अभियुक्त घोषित अपराधी है?
- 3. क्या समझौता वास्तविक, स्वैच्छिक और बिना किसी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के है?
- 4. क्या अभियुक्त व्यक्ति किसी अन्य प्राथमिकी आर. में शामिल हैं या नहीं?
- 5. निचली अदालत को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह जांच अधिकारी का बयान दर्ज करे कि प्राथमिकी में कितने पीड़ित/शिकायतकर्ता हैं।
- 30 मार्च, 2022"
- (9) उक्त आदेश के अनुसरण मेंए पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा, दिनांक 11.04.2022 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

''माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:-

(1)	प्राथमिकी में अभियुक्तों की संख्या कितनी है।	वर्तमान मामले में केवल एक ही आरोपी था जिसका नाम श्री रविंदर सिंह टेनू है।
(2)	क्या कोई आरोपी घोषित अपराधी है	जांच अधिकारी के अनुसार किसी भी आरोपी को घोषित अपराधी नहीं घोषित किया गया है और केवल एक

	आरोपी है।
(3)	दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि उनके बीच समझौता प्रभावित हुआ है अनुसार किये

प्रभाव		पार्टियों (पक्षो))की स्वतंत्र सहमति से और किसी भी अनुचित प्रभाव या दबाव के बिना
(4)	क्या अभियुक्त व्यक्ति किसी अन्य प्राथमिकी आरण् में शामिल हैं या नहीं	मामले के अनुसंधान अधिकारी अनुसार प्राथमिक समय पर अन्य प्राथमिक दर्ज नहीं की गई
(5)	एफ॰ आई॰ आर॰ में कितने पीड़ितध्शिकायत चींटियां हैंध	मामले के अनुसंधान अधिकारी अनुसार इस मामले मे केवल यशविन्द्र सिंह ही पीडित 02. 12.2022शिकायतकर्ता था।

आवेदक दोषी, घायल शिकायतकर्ता दिनांक 08.04.2022 और 11.04.2022 और जाँच अधिकारी दिनांक 11.04.2022 के बयान दर्ज किए गए हैं। कृपया विचार करने के लिए पक्षों और जांच अधिकारी के बयान और समझौता संलग्नक, 11 की फोटो प्रति इसके साथ संलग्न हैं।

आपकी वफादारी से.

(नीलम कुमारी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला

तारीखः 11.04.2022"

- (10) उसी के अवलोकन से पता चलेगा कि पक्षों के बीच किया गया समझौता वास्तविक और प्रामाणिक है।
- (11) वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 19.04.2013 को शिकायतकर्ता यशविंदर सिंह अपने मामा जसबीर सिंह के साथ अपने रिश्तेदार धर्म बीर सिंह से मिलने के लिए गांव मोहरा गया था और उक्त जसबीर सिंह के अपीलकर्ता के साथ कुछ दीवानी विवाद के कारण तनावपूर्ण संबंध थे और लगभग 11:00 बजे रात का खाना खाने के बाद, जब वे धर्म बीर सिंह के घर से बाहर आए, तो अपीलकर्ता और एक पड़ोसी विश्वजीत उनकी छत पर खड़े थे और उसके बाद, बहस हुई और अपीलकर्ता ने एक गोली चलाई जो शिकायतकर्ता के बाएं पैर में लगी और उसी के कारणए वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- (12) निचली अदालत ने पूरे साक्ष्य और अभिलेख पर दस्तावेजों पर विचार करने के बादए वर्तमान अपीलकर्ता को अपराधों के संबंध में दोषी ठहराया जैसा कि ऊपर कहा गया हैए लेकिन अपीलकर्ता को 892 के तहत बरी कर दिया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान अपील लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के बीच एक समझौता किया गया है जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिपोर्ट के अनुसार सही और वास्तविक पाया गया है और जो तथ्य शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोहराया गया है-प्रतिवादी संख्या। 2.

(13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि समझौता वास्तविक और प्रामाणिक है और उन्होंने दिनांकित सी. आर. एम. एम. 17272-2015 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले का उल्लेख किया है।

28.01.2016 राम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य

और अन्य लोगों का तर्क है कि समान परिस्थितियों में, खंड 482 भारतीय दंड संहिता के तहत याचिका पर विचार किया गया था और बाद की सभी कार्यवाही के साथ प्राथिमकी को रद्द कर दिया गया था और यहां तक कि दोषसिद्धि के फैसले को भी समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

(14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दाण्डिक अपील संख्या 1489 में राम गोपाल व अन्य के नाम सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय दिनांक 29.09.2021 पर भी भरोसा किया है। रामगोपाल और अन्र था।

बनाम मध्य प्रदेश राज्य और संबंधित मामले मे और

प्रार्थना की कि वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाए।

- (15) विद्वान राज्य के वकील ने रद्द करने के लिए वर्तमान अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।
 - (16) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।
- (17) रामगोपाल और ए. एन. आर. के मामले (ऊपर) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य मुद्दों के साथ.साथ धारा 482 भारतीय दंड संहिता के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:.
- (2) 3 नवंबर 2000 की पुलिस थाना अंबाह, मुरैना, एम. पी. की प्राथमिकी कि कुछ वित्तीय विवाद के कारणए अपीलकर्ताओं ने पदम सिंह ;शिकायतकर्ताद्ध के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया। अपीलकर्ताकर्ता संख्या 1 पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को एक फरसा से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली कट गई। अपीलकर्ताकर्ता संख्या 2 ने शिकायतकर्ता के शरीर पर लाठी भी चलाई। इसके बाद अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता 1860 (इसके बाद, 'आई. पी. सी.) की धारा 34 के साथ पठित धारा 394, 323 और 326 और अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत मुकद में के लिए प्रतिबद्ध किया गया।

सबूतों के आधार पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट (एफ.सी.), अंबाह ने अपीलार्थियों को भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 354, 323 और 326 के तहत दोषी ठहराया और भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 326 के तहत अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई।

XXX XXX XXX

- 12. इसलिए, उच्च न्यायालय अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए स्वेच्छा से सहमित दी हैए धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता हैए भले ही अपराध गैर- समझौता योग्य हों । उच्च न्यायाधीशालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधए भले ही दंडित न किया जाएए आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली के प्रशासन के उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ या लकवाग्रस्त न हो।
- 13. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गैर जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही या जहां अपराध मुख्य रूप से निजी प्रकृति के हैं, को इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है या दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है। कानूनों

को समान रूप से लागू करने की सामाजिक विधि हमेशा वैध अपवादों के अधीन होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता किया जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियोंए जिस तरीके से समझौता किया गया हैए और घटना से पहले और बाद में अभियुक्त के आचरण के अलावा अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए होगा। पर्याप्त न्यायाधीश करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने वाली कोई कठोर और तेज़ रेखा नहीं हो सकती है। धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रतिबंधात्मक निर्माण से कठोर या विशिष्ट न्याय हो सकता है, जो किसी मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, जिन मामलों में अपराधियों के खिलाफ जघन्य अपराध साबित हुए हैं। ऐसा नही है।

जैसा कि इस न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम मामले में सावधानीपूर्वक कहा हैए लाभ बढ़ाया जाना चाहिए। पंजाब और अन्य राज्य और लक्ष्मी अन्य नारायण सुप्रा।

XXX XXX XXX

- 19. इस प्रकार हम संक्षेप में यह बताते हैं कि दंड प्रिक्षिया संहिता धारा 320 के विपरीत जहां न्यायालय वैधानिक ढांचे के भीतर समाझौता योग्य अपराधों के संबंध में पक्षों के बीच समझौते द्वारा पूरी तरह से निर्देशित हैए धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शक्ति या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित, दंड प्रिक्षिया संहिता धारा 320 की सीमा से परे लागू की जा सकती है। फिर भीए हम दोहराते हैं कि व्यापक आयाम की ऐसी शिक्तियों का उपयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिएए यह ध्यान में रखते हुए कि:
 - (1) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव
- (2) चोट की गंभीरताए यदि कोई हो, (3) अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति और (4) कथित अपराध की घटना से पहले और बाद में अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण औरध्या अन्य प्रासंगिक विचार।
- (18) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रिकेश संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई असाधारण शक्ति को दंड प्रिकेश संहिता की धारा 320 की सीमा से परे लागू किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि गैर-जघन्य अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को इस तथ्य के बावजूद रद्द किया जा सकता है कि मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है और दोषसिद्धि के खिलाफ अपील खारिज हो गई है और यह कि सजा देना न्याय देने का एकमात्र तरीका नहीं है। इस प्रकार, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के बाद समझौता हो जाता है, उच्च न्यायालय को घटना के आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
- (19) राम प्रकाश के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इसी तरह की परिस्थितियों में दंड प्रिक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका को मंजूरी दी है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर इस याचिका में प्रार्थना राविंदर सिंह उपनाम टेनु बनाम हिरियाणा राज्य और हिरियाणा राज्य के लिए हैं। प्राथमिकी संख्या 225, दिनांक 24.08.2005 को रद्द करना (अनुलग्नक पी .1) भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 452, 506, 148 और 149 (बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 308 और 336 जोड़ी गई) के तहत, पुलिस स्टेशन सदर नवां शहर, जिला-नवांशहर में दिनांक 06.02.2015 समझौते (अनुलग्नक पी. 4) के आधार पर दर्ज किया गया और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाहीए जिसमें दोषी ठहराए जाने का

निर्णय और सजा का आदेश, दोनों दिनांक 25.09.2013 का विद्वान अतिरिक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पारित किए गए। सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगरए, जिसके तहत अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

XXX XXX XXX

उपरोक्त प्राथमिकी को रद्द करना और विद्वान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित विवादित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द करना। सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नागर, से इस न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहने के दौरान पक्षों के बीच किए गए समझौते दिनांक 06.02.2015 (अनुलग्नक पी.4) के आधार पर माँगा गया है।

XXX XXX XXX

इस न्यायालय ने सुबे सिंह और अन्य बनाम हिरयाणा राज्य और अन्य 2013 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) के मामले में यह अदालत 102 के मामले में अपीलीय स्तर पर अपराधों के शमन पर विचार किया है और यह मत व्यक्त किया है कि जब दोषसिद्धि के खिलाफ अपील सत्र न्यायाधीशालय के समक्ष लंबित है और पक्षों ने समझौता किया हैए तब भी उच्च न्यायालय दंड प्रिक्रिया संहिता 482 के तहत किसी भी स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अद्वितीय शक्ति निहित है ताकि न्याया के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके और निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

- (15) हालाँकि, दण्ड प्रिक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत शक्ति का उपयोग करने से इनकार, उच्च न्यायाधीशालय को दण्ड प्रिक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का सहारा लेने और न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित आदेश पारित करने से नहीं रोकता है।
- 16. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के संबंध में कि क्या पक्षकारों के बीच किए गए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 दण्ड प्रिक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शिक्त का उपयोग किया जा सकता है, भले ही आरोपी को दोषी ठहराया गया हो और निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो, हम पाते हैं कि डॉ. अरविंद 896 में

बरसौल आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अ न्य, 2008 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 910 (2008)5 एससीसी 794, द

दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक विवाद का निपटारा तब किया गया जब अपीलकर्ता (पित) को भारतीय दंड संहिता की _{धारा} 498, के तहत दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई और उसकी अपील पहली अपील न्यायालय के समक्ष लंबित थी। शीर्ष अदालत ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्यायाधीश के हित में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रिक्रिया का दुरुपयोग होगा और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का भी उपयोग करना होगा। चूँिक उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है, इसिलए उद्धृत निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसने उच्च न्यायालय को इस तरह की अद्वितीय शिक्त प्रदान की है।

17. कानून के दुरुपयोग को रोकने या न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने की दृष्टि से धारा 482 दण्ड प्रिक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अर्न्तिनिहित क्षेत्र अधिकार का परिमाण, हालांकि, धारा 320 दण्ड प्रिक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंध के बावजूद न केवल गैर- समझौता योग्य अपराधों के संबंध में कार्यवाही को रद्द करने की अपनी शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे विचार में ऐसी शक्ति का

प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, सिवाय इसके कि कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है और इस तरह की शक्ति का आह्वान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से उचित है।

- 18. XXX XXX
- 19. XXX XXX
- 20. XXX XXX
- 21. इन विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में जहां न केवल पक्षकारों बल्कि उनके करीबी रिश्तेदारों (प्रतिवादी संख्या 2 की बेटी और दामाद सिहत) ने भी सौहार्दपूर्ण समझौते का समर्थन किया है, हमारा विचार है कि समझौते को अस्वीकार करने से संबंध में वैमनस्य पैदा होगा और परिवार के सदस्यों के बीच स्थायी दरार पैदा होगी जो एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं। समझौते को स्वीकार न करने से पूर्ण न्याया से भी इनकार हो जाएगा जो हमारी न्याय वितरण प्रणाली का सार है। चूंकि कोई वैधानिक नहीं है।

निचली अदालत द्वारा किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद दण्ड प्रिक्रिया संहिता विचाराधीनता 482 के तहत शिक्त का उपयोग करने के खिलाफ प्रतिबंध और इस तरह की सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान, निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना और कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कार्यवाही को रद्द करना एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है।

22. परिणामस्वरूप और पूर्व में बताए गए कारणों के लिए, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार के 2000 के आपराधिक मामले संख्या 425.1 में पारित 16.03.2009 के फैसले और आदेश को उनके और उनकी सौतेली मां प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती. रेशमा देवी) स्वर्गीय राजमल केवल याचिकाकर्ता हैं। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक शिकायत को उपरोक्त समझौते के आधार पर याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 1 के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई अपील निष्फल हो जाएगी और हिसार के पहले अपील न्यायालय द्वारा अप्रकाशित की जाएगी। इसी तरह,

बघेल सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (3) आर. सी. आर. (आपराधिक) 578 के मामले में, जिसके तहत आरोपी को

भा.दं.सं. सी. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, पक्षकारों ने अपील विचाराधीनता रहने के दौरान समझौता किया। यह न्यायालय लाल चंद के फैसले पर भरोसा करते हुए

बनाम हरियाणा राज्य, 2009 (5) आरसीआर (आपराधिक) 838 और छोटा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1997 (2) आरसीआर

(आपराधिक) 392 ने अपीलीय स्तर पर भा.दं.सं. सी. की धारा 326 के तहत अपराध के संबंध में अपराध के शमन की अनुमति इस अवलोकन के साथ दी कि यह पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक प्राथिमक बिंदु होगा, इस तरह के अपराध को शमन किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

तदनुसार, प्राथमिकी संख्या 225 दिनाक 24.08.2005 (अनुसंग्लक पी-1) की धारा 323, 324, 452, 506, 148 और 149 (बाद में प्राथमिकी सी. की खंड 308 और 336 जोड़ी गई) के तहत प्राथमिकी सी. की खंड 323, 324, 506, 148 और 149 (अनुलग्नक पी.1) के तहत प्राथमिकी सी. की धारा 308 और 336 प्राथमिकी सी. की धारा ओं के तहत

प्राथिमकी सी. की धारा 308 और 336 प्राथिमकी सी. की धारा 308 और 336 आई.पी.सी. जोडी गई के तहत पुलिस चौंकी सदर नवां शहर, जिला मे दर्ज की गई नवां शहर ओर उसके बाद की कार्यवाही आरोपी के योग्य है दिनांक 06.02.2015 के समझौते के आधार पर याचिकाकर्ताओं को रद किया जाता है (अनुसंग्लक पी-4).

पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ में जमा की जाने वाली रूपे 25,000/- की लागत के भुगतान के अधीन नतीजतन, दोषी ठहराए जाने का निर्णय और सजा का आदेशए दोनों दिनांक 25.09.2013 विद्वान अतिरिक्त द्वारा पारित किया गया। सत्र न्यायाधीश, शहीद भगत सिंह नगर को लागत के भुगतान की शर्त पर खारिज किया जाता है।

(20) इस न्यायालय ने दिनांक 09.03.2017 को 2017 के सी. आर. आर. मे शीर्षक था- कुलदीप सिंह बनाम विजय कुमार और दूसरा निम्नानुसार हैः.

"भरोसा कौशल्या देवी मसंद बनाम रूपिकशोर खोरे, 2011 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 298 और दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल, ए. आई. आर. 2010 (एस.सी.) पर रखा जा सकता है। धारा 401 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में उच्च न्यायाधीशालय की पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के परिणामस्वरूप यह पता चलने की स्थिति में कि समझौता वास्तविक, वास्तविक और किसी भी अनुचित प्रभाव से मुक्त है, पक्षों के बीच न्यायाधीश का अंत होगा।

विचाराधीन समझौता पक्षों के पक्ष में एक स्थायी उपकरण के रूप में काम करेगा जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा छूट दी जा सकती है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया परक्राम्य लिखत अधिनियम की खंड 147 की भावना के अनुरूप भी होगी।

दामोदर एस. प्रभु बनाम दामोदर एस. प्रभु में निर्धारित सिद्धांत

सैयद बाबालालए ए. आई. आर. 2010 (एस. सी.) 1097

यदि विचाराधीन समझौते को न्यायालय की अनुमित से पक्षों के बीच प्रभावी होने की अनुमित दी जाती है तो इसे मजबूत किया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्री मुक्तसर साहिब द्वारा पारित दिनांक 19.01.2017 का विवादित निर्णय, जिसमें याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया थाए रद्द कर दिया गया है।

दामोदर एस. प्रभु के मामले (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात के अनुसार चेक राशि का 15 प्रतिशत राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा करने के अधीन पुनरीक्षण याचिका की अनुमित दी जाती हैए जिसमें विफल रहने पर इस आदेश का कोई परिणाम नहीं होगा। आवश्यक परिणाम सामने आने चाहिए।-

- (21) उपरोक्त निर्णय में भरोसा को दामोदर एस. प्रभु के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया था और इस प्रकार, तय किए गए कानून के अनुसार, इस न्यायालय को रेविंदर सिंह उपनाम टीईएनयू बनाम हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य को निर्धारित करने की शक्ति है। वैध समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि के निर्णय को अलग करना। वर्तमान मामले में समझौता वास्तविक और वैध है।
- (22) उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से रामगोपाल और अन्य के मामले (उपरोक्त) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर, उक्त निर्णय द्वारा निर्धारित विचार के लिए प्रासंगिक मापदंडों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। सबसे पहले, वर्तमान अपील में शामिल घटना को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगतधीनजी प्रकृति के आपराधिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा, जो चोटें लगी हैं वे जीवन के लिए खतरनाक नहीं हैं और मानसिक भ्रष्टता या इस तरह के गंभीर प्रकृति के अपराध के किसी तत्व को प्रदर्शित नहीं करती हैंए कि ऐसे मामलों की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना सार्वजनिक हित पर हावी होगा।तीसराए चोटों और अपराध को देखते हुएए यह कोई मायने नहीं रखता कि अपीलकर्ता को अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश, अंबाला द्वारा दोषी ठहराया गया है। चौथा, समझौता बिना किसी जबरदस्ती या मजबूरी के किया गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला की रिपोर्ट के अनुसार स्वेच्छा से और स्वेच्छा से किया गया है। पाँचवाँ, विचाराधीन घटना वर्ष 2013 में हुई थी और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके बाद कोई अप्रिय घटना हुई है। छठा, वर्तमान अपीलकर्ता और साथ ही प्रतिवादी सं।2 दोनों अंबाला के निवासी हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं और इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाही को रद्द करने से पक्षों के बीच शांति और सद्भाव आएगा। सातवाँ, आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली के प्रशासन का उद्देश्य पक्षों के बीच उक्त सौहार्दपूर्ण समझौते की स्वीकृति औरध्या इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के दोषमुक्ति पर अप्रभावित रहेगा।

- (23) इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएए वर्तमान अपील की अनुमित है और प्राथिमकी आर. संख्या 112 पुलिस थाना पाराव में भा.दं.सं. सी. की धारा 326, 307 और शस्त्र अपीलकर्ता खंड 27 के तहत दर्ज दिनांक 20.04.2013 के साथ.साथ उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशए अंबाला द्वारा पारित 29.09.2014 दिनांकित निर्णय और 30.09.2014 दिनांकित सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है।
- (24) अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील-प्रतिवादी सं 2 उन्होंने बताया है कि वर्तमान मामले में, रूप्ये 50,000/- का मुआवजा जमा करने का आदेश दिया गया था और इसे अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के समक्ष जमा किया गया है और प्रस्तुत किया है कि रूप्ये 50,000/- की उक्त राशि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता को जारी की जाए। यदि उक्त राशि रूप्ये 50,000/- जमा की गई है।

और आज तक जारी नहीं किया गया है, तो यह शिकायतकर्ता के लिए यह खुला रहेगा कि वह उक्त राशि रूप्ये 50,000/- की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है और फिर उसे शिकायतकर्ता को जारी कर दिया जाएगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

सीमा शर्मा

माननीय न्यायालय श्री सुदीप गोयल अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)